भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2892

(दिनांक 17.12.2025 को उत्तर देने के लिए)

केरल में क्षेत्रीय समाचार चैनल द्वारा टीआरपी में हेरफेर

2892. एडवोकेट डीन कुरियाकोसः

श्री के. सुधाकरनः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने केरल के एक प्रमुख टेलीविजन समाचार चैनल द्वारा टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टीआरपी) में हेराफेरी करने, जिसमें दर्शकों की रेटिंग बढ़ाए जाने का पता लगने से बचने के लिए क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से धन की कथित रेटिंग शामिल है, के लिए ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बीएआरसी) के अधिकारियों को कथित रूप से रिश्वत देने से संबंधित हालिया रिपोर्टों का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस मामले में बीएआरसी अथवा केन्द्रीय एजेंसियों/सरकार द्वारा कोई फोरेंसिक संपरीक्षा/उच्च स्तरीय पूछताछ/जांच शुरू की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन अनियमितताओं के संबंध में राज्य पुलिस से प्राप्त रिपोर्टें, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस कथित पृष्ठभूमि की जानकारी है कि उक्त चैनल के प्रवर्तक/मालिक पूर्व में वित्तीय धोखाधड़ी या विनियामक उल्लंघनों के कई मामलों में संलिप्त रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का इस घोटाले में फंसे बीएआरसी के अधिकारियों के विरुद्ध अभियोजन सहित सख्त और अनुकरणीय कार्रवाई करने और रेटिंग पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता को बहाल करने के लिए संबंधित चैनल की अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग अनुमति को तत्काल निलंबित या रद्द करने का विचार है; और

(ङ) ऑडियंस मेजरमेंट सिस्टम में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने तथा क्षेत्रीय बाजारों में ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ङ): मंत्रालय ने हाल की मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लिया है, जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि एक टेलीविजन चैनल ने मेसर्स ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) इंडिया के एक कर्मचारी को रिश्वत देकर टेलीविजन रेटिंग्स में हेरफेर किया।

आरोपों के मद्देनज़र, इस मामले में कथित रूप से दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई के विवरण सहित एक प्रारंभिक रिपोर्ट केरल पुलिस के पुलिस महानिदेशक से मांगी गई है।

भारत में टेलीविजन रेटिंग

भारत में टेलीविजन रेटिंग्स का विनियमन भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए नीतिगत दिशानिर्देश, 2014 के अंतर्गत किया जाता है। उक्त दिशानिर्देश रेटिंग एजेंसियों को पैनल होम्स की गोपनीयता एवं निजता बनाए रखने तथा एक पारदर्शी, सत्यनिष्ठ एवं उत्तरदायी दर्शक मापन प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करते हैं।

दर्शक रेटिंग पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता एवं पारदर्शिता को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, सरकार द्वारा दिनांक 2.07.2025 को उक्त नीति दिशानिर्देशों में प्रस्तावित संशोधनों का मसौदा सार्वजनिक परामर्श हेतु प्रकाशित किया गया।

प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को सक्षम बनाना, रेटिंग डेटा की सटीकता एवं प्रतिनिधित्वशीलता में वृद्धि तथा विभिन्न क्षेत्रों में मीडिया उपभोग के बदलते स्वरूप को परिलक्षित करना है।

हितधारकों से प्राप्त सुझावों की जाँच के उपरांत, आगे के सुझाव प्राप्त करने के लिए दिनांक 06.11.2025 को संशोधित मसौदा प्रकाशित किया गया।

सरकार टेलीविजन दर्शक मापन प्रणाली की विश्वसनीयता एवं सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित प्रगति पर सतत एवं निकटता से निगरानी कर रही है।
